



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 154 राँची, मंगलवार,

14 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 मार्च, 2023

संख्या:-12/आशु०से०-13-02/2021 1454--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015)-सह-झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

- (i) यह नियमावली झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-6(2) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

“आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। भर्ती प्रक्रिया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुशंसित होगी।”

3. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015)-सह- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-10.क(i) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

“आशुलिपिक से निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति:- निजी सहायक ग्रेड में मूल रिक्तियों की दो तिहाई पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे आशुलिपिक से भरे जायेंगे, जिन्होंने 15 वर्षों की अनधिक अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“आशुलिपिक से निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति:- निजी सहायक ग्रेड में मूल रिक्तियों की दो तिहाई पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे आशुलिपिक से भरे जायेंगे, जिन्होंने 10 वर्षों की अनधिक अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।

4. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015)-सह- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-10.क(ii) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

“निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति:- आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियों की दो तिहाई पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे निजी सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने 02 वर्षों की अनधिक अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति:-आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियों की दो तिहाई पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे निजी सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने 05 वर्षों की अनधिक अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।”

5. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015)-सह- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-10(ख) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

“आप्त सचिव एवं निजी सहायक ग्रेड की मूल रिक्तियों की एक तिहाई पद क्रमशः ऐसे निजी सहायक तथा आशुलिपिक के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल0डी0सी0ई0) के माध्यम से भरे जायेंगे, जिन्होंने एल0डी0सी0ई0 के लिये आवेदन करने के समय उक्त श्रेणी में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योग्यताधारी हो।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“निजी सहायक ग्रेड की मूल रिक्तियों की एक तिहाई पद वैसे आशुलिपिक से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल०डी०सी०ई०) के माध्यम से भरे जायेंगे, जिन्होंने एल०डी०सी०ई० के लिये आवेदन करने के समय आशुलिपिक श्रेणी में 06 वर्ष की अनुमोदित एवं निरंतर सेवा पूरी कर ली हो तथा आप्त सचिव ग्रेड की मूल रिक्तियों की एक तिहाई पद वैसे निजी सहायक से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल०डी०सी०ई०) के माध्यम से भरे जायेंगे, जिन्होंने एल०डी०सी०ई० के लिये आवेदन करने के समय निजी सहायक श्रेणी में 03 वर्ष की अनुमोदित एवं निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।”

6. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1271 दिनांक-02.03.2023 के द्वारा “झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-02.03.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या 32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।
